

२३/२५ - वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी

स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थित बाबत  
कोई कारण भी पैदा नहीं हुआ। इन्हें बार-बार  
आवाज लगावाई गई। अतः यह प्रार्थना-पत्र अदम  
पैरकी अदम हाजती में खरिज किया जाव है।

पत्रावली निर्णय में शुमार हो तथा तस्वीर  
तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

↓  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूस)